(25)

संख्या– 9/11–6–2019–एम(25)/2018

प्रेषक,

**आलोक सिन्हा,**
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**कमिश्नर,**
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ :दिनांक: 23 जनवरी, 2019

**विषय– प्रदेश के मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के लाइसेंस की शर्तो में एक अतिरिक्त शर्त जोड़े जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2722/सं0क0/2018–19 दिनांक 07.01.2019 एवं तत्क्रम में प्रेषित पत्र संख्या–2722/सं0क0/2018–19 दिनांक 15.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी नीतियों के संबंध में प्रदेश के मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों में व्यापक प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से सिनेमा लाइसेंस के शर्तों में एक अतिरिक्त शर्त जोड़ दी जाय, जो निम्नवत् है :–

**"यह कि उक्त (ग)...................प्रत्येक शो में निर्धारित समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनहित में चलाए जा रहे कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रचार सामग्री को निःशुल्क प्रसारित कराएगा। प्रचार सामग्री का कुल समय अधिकतम एक मिनट अर्थात् 60 सेकेण्ड होगा।"**

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेट को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

**भवदीय,**

**(आलोक सिन्हा)**
**अपर मुख्य सचिव।**

d:entertainment tax:diwakar

Scanned by CamScanner